न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 03/2023

नरपत सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति रावत, निवासी गॉव केसरपुरा, पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1.जिला रसद अधिकारी महोदय, अजमेर
2 थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रवर्तन अधिकारी अप्रार्थी
2. श्री खियासिंह रावत अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते छुडवाये जाने जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा एक्ययूीव आर.जे. 01 यू.बी 5660

–:आदेशः–

दिनांक 31.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी नरपत सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति रावत निवासी गॉव केसरपुरा पुलिस थाना मांगलियावास के द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते छुडवाये जाने जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा एक्सयूवी आर.जे.01.यूबी 5660 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त वाहन को पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर द्वारा जरिये प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2023 अन्तर्गत धारा 3/7, 4/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा 420, 285, 353, 332, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत जब्त किया है। पुलिस को उक्त वाहन की प्रकरण में अब आवश्यकता नही है तथा उक्त वाहन से सबंधित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उक्त प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है तथा उक्त वाहन खुले स्थान पर खडे रहने से खराब रहने की पूर्ण सम्भावना है। दिनांक 06.01.2023 को जिला रसद अधिकारी ने जो मौके पर फर्द जब्ती बनायी थी, उसमें उक्त वाहन का कोई भी अंकन नही है। उक्त वाहन मात्र 323, 353 में जब्त है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत उक्त वाहन को जब्त नही किया गया है। उक्त वाहन का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले समस्त पदार्थो के परिवहन में उपयोग नही लिया गया है। इसलिए जब्तशुदा वाहन आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

में ही उक्त वाहन का उपयोग पुलिस कर्मी को धक्का देकर भागने में किया जाना बताया गया है जो कि मात्र धारा 332/353 की परिधि में आता है। उक्त वाहन प्रार्थी के आवागमन हेतु आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त वाहन को सुपुदर्गीनामें पर छोडने के आदेश न्यायहित में फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर से टिप्पणी प्राप्त की गई। प्रकरण सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

प्रार्थी अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, अजमेर मय जांच दल के श्री संजय कुमार मीणा सैल्स ऑफिसर भारत पेट्रोलियम कम्पनी के साथ दिनांक 06.01.23 को अजय पेट्रोकेम खसरा नं0 271 ग्राम ककलाना तहसील अजमेर में जांच की गई जॉच में पाया कि फर्म पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की मिलावट कर मिलावटी पेट्रोल पदार्थ की वाहनो को ईधन के रूप में बिक्री करना पाया । फर्म के द्वारा जांच के दौरान दो भूमिगत टेको में 28378 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया एवं टेंक पाईपलाईन एवं डिजीटल डिस्पोन्शीग युनिट व नोजल मशीन सेटअप से जुडे होकर पेट्रोल पम्प की भांति संचालित पाया गया एवं 78/– रूपये प्रति लीटर की दर सेट कर बिक्री करना पाया । पेट्रोल पदार्थ की गुणवत्ता की जॉच करने पर मिलावटी पेट्रोल पदार्थ एवं पेट्रोल डीजल के समान वाहनो में ईधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पाया गया । जांच दल द्वारा जॉच के दौरान श्री नरपत सिंह पुत्र भंवर सिह अपनी कार महिन्द्रा एक्य यू वी आर.जे.01. यू.बी. 5660 मौके पर फर्म पर उपस्थित हुआ था किन्तु जैसे ही नरपत को मालूम चला कि मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में उसका भी नाम आ रहा है तो वह मौके से अपनी कार को लेकर पुलिस जाप्ता दल के पुलिस कॉस्टेबल राजेन्द कानि0 1059 को छिटक कर गैट तोडकर भाग गया। उक्त प्रकरण में अजय पेट्रोकेम के मालिक अभिषेक गोयल, मैनेजर सुमेर कुमार श्री नरपत सिंह, कालूगोडात, श्री सिद्वान्त शर्मा, श्री प्रशान्त शर्मा के विरूद्व श्री योगेश मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना नसीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट 11/2023 धारा 3/3, 4/7,7, 8, अन्तर्गत ईसी एक्ट 1955 व धारा 420, 282, 332, 353 व 120 बी अन्तर्गत आई.पी.सी दर्ज कराई गई। पुलिस थाना नसीराबाद द्वारा अनुसंधान के दौरान श्री नरपत सिंह के एक्स यू वी कार नम्बर आर.जे.01. यू.बी. 5660 को जब्त किया गया है एवं प्रकरण में अनुसंधान जारी होना बताया गया है। उक्त वाहन को जिला रसद कार्यालय के जांच दल द्वारा जब्त नही किया गया है एवं प्रकरण में जब्त शुदा सामग्री के 6 ए में राजसात बाबत भी उक्त वाहन का उल्लेख नही किया गया है। उक्त वाहन को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निस्तारण हेतु प्रस्तुत नही किया जाने से उक्त वाहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रिलीज किया जाना उचित नही है तथा वाहन को पुलिस द्वारा आई पी सी के

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रावधानो के तहत जब्त किये जाने पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन रिलीज किया जाना उचित नही है । अतः प्रकरण में वाहन को सुपुर्दगीनामें पर रिलीज करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का श्रम करावे।

थानाधिकारी थाना पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 14.02.2023 एवं 03.03.2023 में प्रकरण मूल पत्रावली श्रीमान जिला सैशन न्यायाधीश महोदय न्यायालय अजमेर द्वारा तलब करने पर भेजी जाना व प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एक्सयूबी कार नम्बर आर.जे. 01. यूबी 5660 से जाप्ता को कुचलने का प्रयास किया था उस कार को जरिये फर्दजप्त किया जाकर फर्दजप्ती कार कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वाहन की प्रकरण की सलिप्तता के बारे में अनुसंधान किया जाना शेष बताया गया है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी मय जांच दल के श्री संजय कुमार मीणा सैल्स ऑफिसर भारत पेट्रोलियम कम्पनी के साथ दिनांक 06.01.23 को अजय पेट्रोकेम खसरा नं0 271 ग्राम ककलाना तहसील अजमेर में जांच की गई जॉच में पाया कि फर्म पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की मिलावट कर मिलावटी पेट्रोल पदार्थ की वाहनो को ईधन के रूप में बिक्री करना पाया । फर्म के द्वारा जांच के दौरान दो भूमिगत टेको में 28378 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया एवं टेंक पाईपलाईन एवं डिजीटल डिस्पोन्शीग युनिट व नोजल मशीन सेटअप से जुडे होकर पेट्रोल पम्प की भांति संचालित पाया गया एवं 78/— रूपये प्रति लीटर की दर सेट कर बिक्री करना पाया। पेट्रोल पदार्थ की गुणवत्ता की जॉच करने पर मिलावटी पेट्रोल पदार्थ एवं पेट्रोल डीजल के समान वाहनो में ईधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पाया गया। जांच दल द्वारा जॉच के दौरान श्री नरपत सिंह पुत्र भंवर सिह अपनी कार महिन्द्रा एक्स यू वी आर.जे.01. यू.बी. 5660 मौके पर फर्म पर उपस्थित हुआ था किन्तु जैसे ही नरपत को मालूम चला कि मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में उसका भी नाम आ रहा है तो वह मौके से अपनी कार को लेकर पुलिस जाप्ता दल के पुलिस कॉस्टेबल राजेन्द कानि0 1059 को छिटक कर गैट तोडकर भाग गया। उक्त प्रकरण में अजय पेट्रोकेम के मालिक अभिषेक गोयल, मैनेजर सुमेर कुमार श्री नरपत सिंह, कालूगोडात, श्री सिद्वान्त शर्मा, श्री प्रशान्त शर्मा के विरूद्व श्री योगेश मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना नसीराबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट 11/2023 धारा 3/3, 4/7,7, 8, अन्तर्गत ईसी एक्ट 1955 व धारा 420, 282, 332, 353 व 120 बी अन्तर्गत आई.पी.सी दर्ज कराई गई। पुलिस थाना नसीराबाद द्वारा अनुसंधान के दौरान श्री नरपत सिंह के एक्स यू वी कार नम्बर आर.जे.01. यू. बी. 5660 को जब्त किया गया है उक्त वाहन को जिला रसद कार्यालय के जांच दल द्वारा जब्त नही किया गया है एवं प्रकरण में जब्त शुदा सामग्री के 6 ए में राजसात बाबत भी उक्त वाहन का उल्लेख नही किया गया है। उक्त वाहन को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निस्तारण हेतु प्रस्तुत

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

नहीं किया जाने से उक्त वाहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रिलीज किया जाना उचित नही है तथा वाहन को पुलिस द्वारा आई पी सी के प्रावधानो के तहत जब्त किये जाने पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन रिलीज किया जाना उचित प्रतित नही है ।

अतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में प्रकरण नही पाये जाने से प्रार्थी का सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.03.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर